

लिंग भेद से मुक्ति उपयोगितावाद और महिलाओं की अधीनता का अध्ययन

तबस्सुम

शोध छात्र (समाज शास्त्र), समाजशास्त्र विभाग, शिया कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय

Fatimabegum.lko121@gmail.com

Paper Received On: 21 JUNE 2023

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023

Published On: 01 JULY 2023

Abstract

सम्पूर्ण भारतीय समाज स्त्री-पुरुष दो यौन वर्गीकरण में विभाजित हैं। स्त्री-पुरुष के बीच शारीरिक आकर्षण होना आम बात है। महिला-पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं, किन्तु इन दोनों के बीच शारीरिक सम्बन्धों को मान्यता तब मिलती है जब एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ होना चाहिए। साथ ही सामाजिक तौर पर उन्हें मान्यता मिले वैश्विक युग में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक इत्यादि कई क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगे है। मेरे शोध प्रबन्ध मिल की प्रसिद्ध पुस्तिका 'यूटिलिटेरियनिज्म' है जिसमें बेन्थमवादी सिद्धान्त का अनुमोदन किया गया किन्तु हम देखते हैं कि मिल ने उपयोगितावाद की बेन्थमवादी धारणा में एक बड़ा परिवर्तन किया। शुरुआती दौर में मिल ने बेन्थम के सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। भूगोल के आधार पर महिलाओं की अधीनता के मुद्दे का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल लैंगिक संबंधों की सीमाओं और वैश्वीकृत मोड की पहचान करता है चाहे वह अलग-थलग हो या आंशिक। भौगोलिक संदर्भ में लैंगिक असमानता की चर्चा के बिना अंतर्दृष्टि और व्यवहार में लिंग के अनुसार बदलाव को सुलझाना भी बहुत मुश्किल है।

प्रस्तावना

असमानता की समस्या तो स्त्रियों की स्थिति के साथ जुड़ी है। इसका कारण हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज का वर्चस्व होना जो कि लिंग के आधार पर स्त्रियों के साथ भेदभाव करता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। हमारे समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्री को हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। पुरुष की अपेक्षा उसे कमतर मापा गया। प्रारम्भिक समय में मातृ प्रधान समाज था किन्तु बदलते विकास के साथ उसने पुरुष प्रधान समाज का रूप धारण कर लिया। यदि देखा जाय तो विधिक दृष्टि से भी स्त्री को पुरुष की बराबरी का दर्जा तो मिला किन्तु व्यवहार में आज भी असमानता का ही उदाहरण देखने को मिलता है।

बेटे के जन्म पर खुशी और बेटी के जन्म पर मायूस होना। प्रायः पुरुष द्वारा स्वयं को स्त्री से श्रेष्ठ मानकर उसे कमतर आँकना पुरुष अपना अधिकार मानते हैं। यदि हम जैविक रूप से देखे तो समाज में यह मान्यता स्थापित की गयी कि स्त्री और पुरुष में शारीरिक भेद है। पुरुष शक्तिशाली और स्त्रियों को कमजोर बताया गया है। किन्तु आधुनिक सभ्य समाज में जिस प्रकार से स्वतन्त्रता की अवधारणा आवश्यक है उसी प्रकार से समानता की अवधारणा भी आवश्यक है और वह भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं द्वारा ही पैदा होती है। स्वतन्त्रता के वातावरण में

समानता का विकास हुआ। समानता एक बहु आयामी धारणा है। कभी-कभी समानता को 'अवसर की समानता' के रूप में देखा जाता है अर्थात् समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। समानता का विचार ही सामाजिक परिवर्तन की माँग करता है।

लैंगिक भेदभाव का मनोवैज्ञानिक कारण सिमोन डी बुआ ने अपनी पुस्तक जिम्बवादादक मैग में बताया है: समाज में पुरुष स्वयं को स्वयं मानते हैं और महिलाओं को अन्य वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष स्त्री की चेतन सत्ता को अस्वीकार कर उसे अपने लिए एक वस्तु के रूप में स्वीकार कर लेता है। पुरुष ने नारी को सम्पत्ति एवं अपने भोग की वस्तु के रूप में स्वीकार किया, परन्तु नारी ने अपनी परिस्थितियाँ स्वयं निर्मित कीं क्योंकि वे कभी भी एक रूप में संगठित नहीं हुईं। सच कहें तो समाज में महिलाओं को अब तक वही मिला है जो पुरुषों ने उन्हें दिया है।

लैंगिक असमानता के संदर्भ में महिलाओं की अधीनता का अध्ययन

लैंगिक असमानता की चर्चा में भूगोल के क्षेत्र में पिछली लैंगिक असमानता की समीक्षा करना बहुत आवश्यक है। भूगोल के आधार पर महिलाओं की अधीनता के मुद्दे का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल लैंगिक संबंधों की सीमाओं और वैश्वीकृत मोड की पहचान करता है चाहे वह अलग-थलग हो या आंशिक। भौगोलिक संदर्भ में लैंगिक असमानता की चर्चा के बिना अंतर्दृष्टि और व्यवहार में लिंग के अनुसार बदलाव को सुलझाना भी बहुत मुश्किल है। वर्तमान समय के संदर्भ में लैंगिक असमानता महिलाओं के छेद पर केंद्रित है। संसाधनों और संभावनाओं में महिलाओं की असमान पहुंच धीरे-धीरे मध्यम नारीवाद से कल्याण के भूगोल पर ध्यान केंद्रित करती है। वैश्वीकृत क्षेत्र में पारंपरिक लैंगिक असमानता स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। भूगोल में स्थानीय और क्षेत्रीय लैंगिक असमानता का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल इस बात की पड़ताल करता है कि समाज और अर्थव्यवस्था में स्थानीय बिंदु परिवर्तन से लैंगिक असमानता कैसे निर्धारित होती है। भूगोल में लैंगिक असमानता की चर्चा बहुत हद तक संस्कृति और वर्ग संरचना से जुड़ी हुई है। भूगोल की एक महत्वपूर्ण चिंता अंतरिक्ष में आधारित है और कैसे लिंग आधारित आजीविका उस स्थान के अनुसार भिन्न होती है। इसके अलावा, भूमि उपयोग में भिन्नता (ग्रामीण और शहरी) भी लिंग संबंधों में परिवर्तन को बाध्य करती है। ग्रामीण और शहरी दोनों भूमि उपयोग श्रम के विशिष्ट लैंगिक विभाजन को आवंटित करते हैं जिसने अंततः रोजमर्रा की लैंगिक असमानता को आकार दिया। लैंगिक असमानता की समस्या संस्कृति और परिदृश्य से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है जो स्थान और समय दोनों को जोड़ती है। लिंग का भूगोल मूल रूप से रिक्त स्थान पर केंद्रित है और भूगोल के संदर्भ में विशिष्ट लिंग पहचान और विचारधाराओं पर चर्चा करता है। भूगोल के क्षेत्र में जेंडर अध्ययन की चर्चा से समाज की उस पद्धति की भी पहचान होती है, चाहे वह पितृसत्तात्मक हो या मातृसत्तात्मक। वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंग व्यवस्था का अध्ययन भी उपरोक्त टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

भारत में लिंग असमानता एवं लिंग अंतराल

भारत में लैंगिक असमानता का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य शिक्षा आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं से है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लिंग अंतर और असमानता सूचकांक इनमें से प्रत्येक कारक के साथ-साथ समग्र आधार पर भारत को अलग-अलग रैंक देते हैं। लिंग असमानताएं और उनके सामाजिक कारण भारत के लिंग अनुपात महिलाओं के जीवनकाल में उनके स्वास्थ्य उनकी शैक्षिक उपलब्धि और उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में व्यापक लिंग अंतर होता है। विश्व आर्थिक मंच 2006 से वैश्विक

लिंग अंतर सूचकांक चला रहा है। सूचकांक चार विषयगत आयामों या उपविभागों में लिंग आधारित असमानताओं के परिणामों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर शैक्षिक प्राप्ति स्वास्थ्य और अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण आर्थिक विकास की तेज दर के बावजूद लैंगिक विकास की दिशा में भारत की प्रगति निराशाजनक रही है। जहां पिछले दशक में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं महिला श्रम बल की भागीदारी में 34 प्रतिशत से 27 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। आर्थिक अवसर राजनीतिक सशक्तिकरण शैक्षिक उपलब्धि जैसे बुनियादी स्तंभों द्वारा मापे गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 108वें स्थान पर है। और स्वास्थ्य और अस्तित्व। 2021 में भी भारत की रैंक 108वीं थी। भारत को पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को पाटने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

पितृसत्ता की अवधारणा

हमारे वर्तमान समाज में अनेक प्रकार की असमानताएँ हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच पाई जाने वाली असमानता उनमें से एक है। सामान्यतः पितृसत्ता इसी प्रकार की असमानता को व्यक्त करती है। पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द पैट्रियार्की का हिंदी पर्याय है। अंग्रेजी में यह शब्द ग्रीक भाषा के सात शब्दों को जोड़कर बनाया गया है: पैटर (चमजमत) और आर्चे (टबीपद)। इस प्रकार कुल मिलाकर पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है 'पिता का शासन'। पितृसत्ता इस विश्वास पर आधारित है कि पुरुष और महिलाएं स्वभाव से भिन्न हैं और यह अंतर समाज में उनकी असमान स्थिति को उचित ठहराता है। पितृसत्ता व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह समाज प्रत्येक सदस्य को समान उच्च या निम्न (विशेषकर लिंग के आधार पर) नहीं मानता है। पितृसत्ता लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है।

भारतीय समाज को पितृसत्ता की व्यवस्था के तहत ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है क्योंकि यहाँ का समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हर पल पितृसत्ता के अलग-अलग रूपों का सामना करती हैं। बात चाहे तरह-तरह के आधारों पर भेदभाव की हो या आजादी में बिना वजह कटौती और सुविधाओं में भारी कमी की हो, ये सभी पितृसत्ता के ही पहलू हैं। पितृसत्ता में महिलाएं दायम दर्जे की नागरिक होती हैं, जहाँ एक तरफ उन्हें घर के ज्यादा से ज्यादा काम का जिम्मा लेना होता है। वहीं दूसरी ओर, घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है। उन्हें आर्थिक शोषण के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पराधीनता उत्पीड़न एवं शोषण का भी शिकार होना पड़ता है।

भारत में लैंगिक असमानता के कारण और प्रकार

भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, "पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।" महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, से प्राप्त की हैं।

उदाहरण के लिये, प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार, "ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है।"

मुस्लिमों में भी समान स्थिति हैं और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा है। महिलाओं के समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों में से अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी हैं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, संगठित वैश्यावृत्ति का कार्य करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर होती हैं लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिये, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में असक्षम हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाई स्कूल और इंटर मीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आझार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।

लैंगिक असमानता के कारक

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रुढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।

भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिये उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।

राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

वर्ष 2021-22 के लिए नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (चमिटवाइकपब स्विननेट थ्वाटबिम मेंट अमल) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (स्विंट थ्वाटिम) और कार्य भागीदारी (अवता चंटजपिपचिनजपविद) दर कम है। ऐसे में आर्थिक मापदंडों पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर निर्भर होकर रह जाती है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत, केवल कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दमन और दीव ने महिला कार्य भागीदारी दर में सुधार दिखाया है।

महिलाओं के रोजगार की अंडर-रिपोर्टिंग की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।

शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। हालाँकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय के संदर्भ में लैंगिक असमानता महिलाओं के छेद पर केंद्रित है। संसाधनों और संभावनाओं में महिलाओं की असमान पहुंच धीरे-धीरे मध्यम नारीवाद से कल्याण के भूगोल पर ध्यान केंद्रित करती है। वैश्वीकृत क्षेत्र में पारंपरिक लैंगिक असमानता स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। भूगोल में स्थानीय और क्षेत्रीय लैंगिक असमानता का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल इस बात की पड़ताल करता है कि समाज और अर्थव्यवस्था में स्थानीय बिंदु परिवर्तन से लैंगिक असमानता कैसे निर्धारित होती है।

संदर्भग्रंथ सूची

- एविनेरी, श्लोमो: *द सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स, कैम्ब्रिज, 1968* ।
ए सेन और बी. विलियम्स *संस्करणय उपयोगितावाद और परे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।*
एलकिंसन, आर.एफ.: *जे.एस. मिल्स प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, फिलॉसफी, 1957* ।
एनस, जूलिया: *मिल एंड सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, 1977* ।
ब्रिटन कालर: *जॉन स्टुअर्ट मिल, बाल्टीमारे, 1953* ।
बर्लिन, प.: *लिबर्टी पर चार निबंध, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1969* ।
बेवॉयर, एस. डी. : *द सेकेंड सेक्स, पेंगुइन हार्मोड्स वर्थ, 1983* ।
बेंथम, जे.: *एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, लंदन ऑक्सफोर्ड, 1995* ।
ब्राउन, डी.जी. : *मिल ऑन लिबर्टी एंड मोरेलिटी, फिलॉसॉफिकल रिव्यू, 1972* ।
बर्लिन, आई. : *जे.एस. मिल एंड एंड्स ऑफ लाइफ: रिप्र इन जे. ग्रे और जी.डब्ल्यू. स्मिथ ऑन लिबर्टी इन फोकस, लंदन, 1991* ।

Cite Your Article as:

Tabssum. (2023). LING BHED SE MUKT UPYOGITAVAD AUR MAHILAYO KI ADHINTA KA ADHYAYAN. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 11(77), 222–226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8162968>